UPGK010038862026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

सेशन केस संख्या– 985/2026
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मो० सैफ
अपराध संख्या- 24/2025
धारा- 64, 87 बी०एन०एस०
थाना- पिपराईच, जनपद- गोरखपुर।

03.08.2026

1. सत्र परीक्षण की पत्रावली आज आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थना पत्र कागज संख्या–7ख अंतर्गत धारा–250 भा०ना०सु०सं० पर उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक एवं आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

2. प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–7ख पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

3. प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 7ख के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त मो० सैफ के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अपराध संख्या- 24/2025, धारा- 64, 87 बी०एन०एस०, थाना- पिपराईच, जनपद- गोरखपुर के प्रकरण में उसे उन्मोचित किया जावे।

4. प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 7ख में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया गया है कि "प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज उक्त मामले में प्रार्थी के विरूद्ध किसी तरह का कोई अपराध न बनने के बावजूद भी विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है। दौरान विवेचना विवेचक मुकदमा को उक्त कथित घटना की कथित पीडिता द्वारा विवेचक मुकदमा को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा कथित घटना के समय अपनी उम्र 20 वर्ष बतायी गयी है तथा यह भी बताया गया है, कि वह वर्ष 2023 में कक्षा 12वीं में नेहरू इण्टर कालेज में पढ़ी है। मैंने सैफ से शादी करने को अपने घर वालों से कहा तो वह राजी नहीं हुए इसलिए मैंने व सैफ दिनांक 06.01.2025 को घर से भाग गये तथा विवाह करने के बाद उसके बाद आपसी सहमति से संबंध बनाये हैं तथा हम उसी के साथ रहना चाह रहे हैं। इस प्रकार विवेचक मुकदमा को दिये

गये बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० से प्रार्थी के विरूद्ध किसी तरह का कोई अपराध गठित नहीं होता है। कथित घटना की पीड़िता द्वारा दिनांक 08.01.2025 को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० के करीब 10 दिन बाद दिनांक 17.01.2025 को दिया गया बयान अन्तर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस० में उक्त तथा कथित पीड़िता द्वारा अपनी उम्र 20 वर्ष बताते हुए यह कथन किया गया कि मैं सैफ से प्यार करती हूँ तथा दिनांक 06.01.2025 को मैं अपनी मर्जी से उसके साथ भाग गयी। इससे भी यह स्पष्ट है कि उक्त तथाकथित पीडिता के द्वारा माननीय मजिस्ट्रेट महोदय, के समक्ष दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस० से भी प्रार्थी के विरूद्ध किसी तरह का कोई आरोप गठित नहीं होता है। कथित घटना की पीड़िता द्वारा जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर में चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान अपने शरीर की आन्तरिक अथवा बाह्य जांच को कराये जाने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया। इस कारण से भी प्रार्थी के विरूद्ध किसी तरह की कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट संबंधी साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध न होने के कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध उक्त मामले में आरोप विरचित किए जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। कथित घटना की पीड़िता उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2021 में नेहरू इण्टर कालेज पिपराइच गोरखपुर में उत्तीर्ण की है जिसमें उसकी जन्मतिथि 05.07.2004 अंकित है। उक्त मामले की कथित घटना दिनांक 06.01.2025 को कहीं जाती है। इस प्रकार कथित घटना के दिन पीड़िता की उम्र करीब 20 वर्ष 6 माह से अधिक हो रही है। उक्त कथित पीड़िता के हाईस्कूल परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को भी विवेचक पत्रावली में समाहित किया गया है। जिससे भी उक्त मामले की पीड़िता के कथित घटना के समय बालिग होने तथा प्रार्थी के विरूद्ध किसी तरह का कोई आरोप न लगाये जाने के कारण पत्रावली में प्रार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र विरचित किए जाने से संकलित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। स्वयं पीड़िता द्वारा किए गए बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० व बयान अन्तर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस० व चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट से प्रार्थी के किसी तरह का कोई आरोप गठित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले में प्रार्थी को आरोप से अवमुक्त किया जाना न्यायोचित है।" प्रार्थना-पत्र में वर्णित आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी।

5. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 7ख में उल्लिखित तथ्यों का घोर विरोध किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में सक्रिय भागिता एवम् भूमिका पाते हुए उनके विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया है। विवेचक के समक्ष दिये गये कथन में साक्षीगण के द्वारा कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता के बिन्दु पर स्पष्ट कथन किया गया है। उनके द्वारा प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 7ख आधारहीन एवम् बलहीन होना बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 07.01.2025 को समय 15छ45 बजे, अन्तर्गत थाना– पिपराईच, जनपद– गोरखपुर में घटित घटना की प्राथमिकी, जिसमें आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाने तथा शिकायत पर अभियुक्त के माता–पिता द्वारा वादिनी को गाली–गुप्ता देने व जानमाल की धमकी देने का कथन किया गया था।

8. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 07.01.2025 को समय 15:45 बजे, थाना– पिपराइच, जनपद–गोरखपुर में अभियुक्तगण सैफ अली, वादिर अली व वादिर अली की पत्नी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या– 24/2025 अन्तर्गत धारा- 137(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत की गयी। विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना की गई, दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादिनी मुकदमा का बयान अंकित किया गया, घटनास्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया गया, समयी साक्षीगण का बयान अंकित किया गया एवं विवेचना की सभी औपचरिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्त सैफ अली के विरूद्ध धारा- 64, 87 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है एवं विवेचना के दौरान संकलित किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए दिनांक 05.03.2025 को संज्ञान लिया गया है। स्वीकार्य रूप से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध लिए गए संज्ञान आदेश दिनांकित 05.03.2025 को आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कहीं चुनौती नहीं दी गई।

9. विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नं०–1 में वादिनी मुकदमा सुविरून का बयान अन्तर्गत धारा 180 भा०ना०सु०सं० में अंकित किया गया जिसमें उन्होंने कथन किया कि– "दिनांक 06.01.2025 को दोपहर लगभग 2 बजे मेरी लड़की को बहला फुसलाकर झांसे में लेकर सैफ अली भगा ले गया। सैफ अली के घर शिकायत करने पर वादिर अली व वादिर अली की पत्नी भद्दी–भद्दी गाली गुप्ता देते हुए आमदा फौजदारी है तथा जानमाल का भी धमकी देने लगी।"

10. विवेचक द्वारा केस डायरी में पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 180 भा०ना०सु०सं० में अंकित किया गया जिसमें उन्होंने कथन किया कि– "मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं कक्षा 12वीं में नेहरू इण्टर कालेज में 2023 में पढ़ी हूं। मैं सैफ को पिछले 5 वर्ष से जानती हूं व जिरए दूरभाष बातचीत भी करती थी। को शादी के लिए कहे तो 2023 में पढ़ी 5 वर्ष से जानती हमने अपने घर वालों को शादी के लिए कहे तो राजी नहीं हुए, इसलिए मैं

और सैफ अपने घर से दिनांक 06.1.2025 को भाग गये और एक मजार पर जाकर मौलवी से निकाह के लिए कहा तो इन्कार कर दिया अतः सिंदूर दान कर विवाह कर लिया। बाद में होटल में रूम में लेकर 2 दिन रहे। आपसी सहमति से संबंध बनाए। हम उसके साथ ही रहना चाह रहे है।

11. विवेचक द्वारा केस डायरी सं०–4 में पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 183 भा०ना०सु०सं० में अंकित किया गया जिसमें उन्होंने कथन किया कि–"मैं 12 तक पढ़ी हूं। मैं सैफ से प्यार करती हूं, 06.01.2025 को मैं अपनी मर्जी से उसके साथ भाग गयी हमारी शादी नहीं हुई है। उसने मेरे साथ जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाए और कुछ कहना है नहीं।"

12. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं मौखिक तर्क में विरोधाभास एवं अन्य तथ्यों के बाबत जो उन्मोचन का आधार बताया गया है वह आधार/तर्क विचारण के दौरान निर्णय के स्तर पर देखा जाना है। आरोप के स्तर तक मात्र प्रथम दृष्टया ही मामला देखा जाना होता है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर प्रथम दृष्टया मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है।

13. यहॉ यह भी उल्लिखित किया जाना समीचीन है कि इस प्रक्रम पर मामले में साक्ष्य की विवेचना गुण–दोष के आधार पर की जानी अपेक्षित नहीं है। अपितु अभियोजन द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह समाधान किया जाना है कि मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए आधार पर्याप्त है या नहीं, जैसा कि उपरोक्त उद्धरित अभियोजन कथानक एवम् केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य से यह परिलक्षित है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा- 64, 87 भारतीय न्याय संहिता का आरोप लगाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है। अतएव, आवेदक/अभियुक्त को कथित अपराध से इस स्तर पर उन्मोचित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है।

14. आरोप विरचित किये जाने के संदर्भ में **माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने न्यायिक दृष्टान्त सुप्रीन्टेंडेन्ट एण्ड रिमेंम्ब्रेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स, वेस्ट बंगाल विरूद्ध अनिल कुमार भुन्जा ए०आई०आर० 1980 सु० को० 52 (एफ०बी०)** में यह अवधारित किया है कि– "At this stage, as was pointed out by this Court in State of Bihar v. Ramesh Singh' AIR 1977 SC 2018, the truth veracity and effect of the evidence which the prosecutor proposes to adduce are not to be meticulously judged. The standard of test, proof and judgment which is to be applied finally before finding the accused guilty or otherwise is not exactly to be applied at the stage of Section 227 or 228 of the Code of Criminal Procedure, 1973. At this stage, even a very strong suspicion founded upon materials before the Magistrate, which leads him to form a presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offense alleged may justify the framing of charge against the accused in respect of the commission of that offence.”

उक्त न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर साक्ष्य की सत्यता तथा प्रकरण की सूक्ष्मता से विवेचना करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रम पर यदि अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के सन्दर्भ में सन्देह भी उत्पन्न होता है तब भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप की विरचना की जा सकती है।

15. **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त स्टेट ऑफ एम०पी० विरूद्ध एस०बी० जौहरी (ए०आई०आर० 2000 सु० को० 665)** में यह अवधारित किया गया है कि– “It is settled law that at the stage of framing the charge, the court has to prima facie consider whether there is sufficient ground for proceeding against the accused. The Court is not required to appreciate the evidence and arrive at the conclusion that the materials produced are sufficient or not for convicting the accused. If the Court is satisfied that a prima facie case is made out for proceeding further then a charge has to be framed.”

16. इसी प्रकार **दाण्डिक अपील संख्या–1578/2008 संघी ब्रदर्श (इंदौर) प्रा0लि0 बनाम संजय चौधरी व अन्य निर्णीत दिनांकित 03.10.2008** के अपने सम्मानित निर्णय के पैरा–11 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उल्लिखित किया है कि– "The present case is not one where the High Court ought to have interfered with the order of framing the charge. As rightly submitted by learned counsel for the appellant, even if there is a strong suspicion about the commission of offence and the involvement of the accused, it is sufficient for the court to frame a charge. At that stage, there is no necessity of formulating the opinion about the prospect of conviction. That being so, the impugned order of the High Court cannot be sustained and is set aside. The appeal is allowed."

17. विधि व्यवस्था **महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा 1996 क्रिमिनल लॉ जनरल 2448 (सुप्रीम कोर्ट)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि यह उपधारणा करने के लिये आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है, तो न्यायालय न्यायोचित रूप से तो यह कह सकती है कि प्रथम दृष्टया उसके विरूद्ध मामला बनता है अर्थात यदि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपराध कारित किये जाने की सम्भावना बनती है, तो आरोप तैयार करने का मामला बनता है। दूसरे शब्दों में यदि न्यायालय यह समझती है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया होगा, तो वह आरोप तैयार कर सकता है, किन्तु दोषसिद्ध करने के लिये यह निष्कर्ष आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया। यह स्पष्ट है कि आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सम्भाव्यतापरक मूल्यांकन होना चाहिए। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाई गयी सामग्री को उस प्रक्रम पर सत्य मानकर स्वीकार करना चाहिए। विधि का यह सुस्थापित एवं मान्य सिद्धान्त है कि आरोप गम्भीर सन्देह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। विधि व्यवस्था **हीरा लाल तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य 2017 (2) जू0क्रि0के0 1522** के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप बनाते समय न्यायालय को यह देखना आवश्यक नहीं है कि क्या उपलब्ध साक्ष्य दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त है। इस स्तर पर यही देखा जाना पर्याप्त है, कि जिससे यह अन्देशा निकले कि क्या अभियुक्त ने तथाकथित अपराध कारित किया है या नहीं? इसी प्रकार विधि व्यवस्था **राजपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2017 (2) जे0क्रि0के0 1797** के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप निर्मित करते समय केवल अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य को अंकलित किया जाना चाहिए भले ही प्रबल सन्देह दृष्टिगत होता है फिर भी इस स्तर पर आरोप मुक्ति के लिये अपर्याप्त है।

18. **पलविन्दर सिंह प्रति बलविन्दर सिंह 2009 (65) ए.सी.सी. 399 (सुप्रीम कोर्ट) तथा स्टेट एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली प्रति शिव चरन बंसल (2020) 2 एस.सी.सी 290** के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

"Charge can be framed also on the basis of strong suspicion. Marshalling and Appreciation of evidence is not in the domain of the court at that point of time."

19. अतएव सम्पूर्ण तथ्यों एवम् परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अपराध से उन्मोचित किये जाने का कोई औचित्य विद्यमान नहीं है।

20. निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त मो० सैफ अली की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 7ख निरस्त किये जाने योग्य है। **यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थना–पत्र के निस्तारण में जो भी संप्रेक्षण दिये गये है वे मात्र इस प्रार्थना पत्र तक ही सीमित होगें। इनका कोई प्रभाव मामले के गुण–दोष पर नहीं पड़ेगा।**

आदेश

आवेदक/अभियुक्त मो० सैफ अली द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 7ख निरस्त किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त मो० सैफ अली, आरोप की विरचना हेतु दिनांक 10.08.2026 को पेश हो। आवेदक/अभियुक्त नियत तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

दिनांक/गोरखपुर
03 अगस्त, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.08.03 16:41:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court